who may be associated with securities markets in any manner; and

(iii) prohibiting fraudulent and unfair trade practices relating to securities markets.

Enquiry into Official Patronage to Canara Bank in the Security Scam

1997. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-items appearing in the 'Indian Express' New Delhi of the 3rd June, 1992 captioned "Did Canara Bank get official patronage" wherein it has been alleged that a high ranking official of his Ministry or his wife was involved in the bank's decision to finance stock market manoeuvers through fake B.R.'s and S.G.Ls;

(b) if so, whether Government have conducted any enquiry in this regard and taken action against the officials;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) There was no official patronage to Canara Bank by a high ranking official of the Ministry of Finance or his wife as alleged in the Press Report. An Officer's wife was a Member of the Board of Trustees of Canbank Mutual Fund from October, 1989. She had not attended any meeting of the Board of Trustees of the Mutual Fund since January, 1992 and had sent her resignation on 22-4-1992. She was not on the Board of the Canara Bank or any other financial institution associated with Canara Bank. Board Members are not involved in operational investment decisions.

विदेशों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

1998. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय स्टेट बक, बक आफ बडोदा, बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक की शाखाएं अमरीका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, हांगकांग, जापान और सिंगापुर में भी कार्यरत थीं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा वर्षवार कितनी राशि भारत में भेजी गई और उसमें से बैंको द्वारा लाभांश के रूप में कितनी राशि अर्जित की गई थी ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" में हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Involvement of Ministers in Shares Scam

1999. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

SHRI VISHNU KANT SHASTRI:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL:

SHRI SARADA MOHANTY:

SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have collected information

from each of the Central Ministers that they or any Member of their family have not been involved directly or indirectly in the shares scam;

(b) whether it is also a fact that Government have made public statement to the effect that none of the Ministers have been involved in the shares scam; and

(c) if so, on what basis the statement has been made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) Central Bureau of Investigation has reported that during the invetigation conducted so far by them, the involvement of any Minister has not been noticed. Statements made in this regard are baesd on investigations made so far in the matter.

विदेशों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की राशि को बट्टे-खाते में डाला जाना

2000. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री कैलाश नारायण सारंग :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ शाखाएं विदेशों में कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों को उनके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली न हो पायी राशि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में सरकार द्वारा क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा इस प्रकार बट्टे-खाते में डाली गयी राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन बैंकों को विदेशों में कार्यरत शाखाओं को इस अवधि के दौरान इस कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति उन्हें करने हेतु भेजी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने सरकारी क्षेत्र के सभी बकों को, अधिकारियों द्वारा किसी भी रकम को बट्टे-खाते डालने से पहले कुछ पहलुओं पर विचार करने से संबंधित विस्तृत मार्गनिर्देश जा ी किए हैं । इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि जिस अधिकारी ने प्रश्नाधीन अग्रिम मंजूर किया था, उसके द्वारा उस अग्रिम को बट्टे-खाते नहीं डाला जाना चाहिए । इन मार्गनिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी रकम को बट्टे-खाते डालने/समझोता करने का निर्णय लेने से पहले देय रकमों की वसूली के लिए सभी संभव कदम उठाये जाने चाहिए ।

(ग) और (घ) इस जानकारी को प्रकट करना जनहित में नहीं होगा । यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा विदेशों में स्थित अपनी शाखाओं को भेजी गयी रकम अशोध्य ऋणों को बट्टे-खाते डालने के लिए ही आमतौर पर ये रकमें सांविधिक लेखा-परीक्षकों/मेजबान देश के अधिकारियों द्वारा पता लगायी गयी प्रावधान संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार भेजी जाती है ।

राजीव फाउंडेशन को वित्तीय सहायता

2001. **डा० बापू कालदाते :**
श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक संस्थाओं ने राजीव फाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान की है ; और

(ख) यदि हां, तो 29 जून, 199 तक प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?